झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या......04........ वर्ष 20.24.....

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती सरीता देवी,
ग्रा० +पो० +पं०- चपरी,
प्र०- ठाकुरगंगटी, गोड्डा।

बनाम

वाद प्रारंभ की तिथि
दि०. 10.01.2024.

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, गोड्डा।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

वाद सं0–04 / 2024

परिवादी श्रीमती सरीता देवी, पति श्री सुनिल रविदास, ग्रा0+पो0+पं0–चपरी, प्रखण्ड–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–04.01.2024 को आयोग को प्राप्त हुआ है।

परिवाद पत्र में उल्लेख किया गया है कि परिवादी को माह फरवरी, 2023 से अबतक राशन डीलर श्री नन्द किशोर भारती द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा है। यह भी कि इस संबंध में उनके द्वारा प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी से कई बार सम्पर्क किया गया किन्तु अबतक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

परिवादी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा पूर्व में व्हाटसएप्प पर समर्पित आवेदन जो कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को प्रेषित किया गया था इसके बावजूद भी अबतक कार्रवाई नहीं हुई है। परिवादी द्वारा अपनी दयनीय आर्थिक स्थिति एवं भुखमरी का हवाला देते हुए जल्द से जल्द बकाया सभी माह का राशन दिलाने का अनुरोध किया गया है।

प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–30.01.2024 को निर्धारित की जाती है।

प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, ~~पूर्वी सिंहभूम~~ गोड्डा को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।

दिनांक–30.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।

(शबनम परवीन)
सदस्य,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग,
राँची।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
30.01.2024	**वाद संख्या–04/2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सरीता देवी, ग्राम+पो0+पंचायत–चपरी, प्रखण्ड–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा दूरभाष के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित। आयोग के निर्देश के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा का प्रतिवेदन अभिलेख में मौजूद है। प्रतिवेदन में विस्तार से उन बातों का उल्लेख किया गया है, जिन कारणों के चलते शिकायतकर्ता को दिक्कतें आ रही हैं। आयोग शिकायतकर्ता को जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन की एक प्रति भेजे जाने का निर्देश देता है और शिकायतकर्ता को निर्देश देता है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन में जिन बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है, उसका स्वयं अनुपालन करना सुनिश्चित करें। शिकायतकर्ता चाहें तो अगली सुनवाई में अपना पक्ष रख सकते हैं। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–28.02.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.02.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx153	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28-02-2024	**वाद सं0–04 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्रीमती सरीता देवी, ग्राम+पो0+पं0–चपरी, प्र0–ठाकुरगंगटी, गोड्डा टेलीफोन के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित। आयोग ने 30.01.2024 की सुनवाई में शिकायतकर्ता को निदेश दिया था कि वो जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर अपना पक्ष रखें। लेकिन आज शिकायतकर्ता ने टेलीफोन के माध्यम से आयोग को ये बताया कि वो बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं हैं। वो अपने शिक्षित भाई की मदद लेकर जिला आपूर्ति पदाधिकारी द्वारा भेजे गये प्रतिवेदन पर अपना पक्ष रखेंगे। ऐसे में आयोग न्यायहित में शिकायतकर्ता को अपना पक्ष रखने का एक और अवसर दे रहा है। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–11.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–11.03.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx4	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–04/2024	
11.03.2024	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से अपीलकर्त्ता श्रीमती सरीता देवी, ग्राम+पो0+पं0–चपरी, प्रखण्ड–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा आयोग कार्यालय में अनुपस्थित। शिकायतकर्त्ता को आयोग ने 28.02.2024 के सुनवाई में अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया था लेकिन आयोग के अभिलेख में शिकायतकर्त्ता का पक्ष मौजूद नहीं है। न्याय के हित में आयोग शिकायतकर्त्ता को अंतिम अवसर दे रहा है। आज के आदेश कि प्रति शिकायतकर्त्ता को भेज दी जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–28.03.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक–28.03.2024 को रखें। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। G:\Rachana jsfc\Court order.docx34	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
28.03.2024	**वाद संख्या–04 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सरीता देवी, ग्राम+पो0+पंचायत–चपरी, प्रखण्ड–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित। आयोग के अभिलेख में शिकायतकर्ता द्वारा भेजा गया पक्ष मौजूद है, जिसमें उनका कहना है कि आयोग को पदाधिकारी द्वारा गलत जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व में कई अवसर पर आयोग ने शिकायतकर्ता को लिखित पक्ष रखने को कहा था। आज की सुनवाई में मौजूद शिकायतकर्ता और उनके सहयोगी ने आयोग को बताया गया कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा दिनांक–29.01.2024 को जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को भेजे गये प्रतिवेदन में गलत तथ्यों का उल्लेख किया गया है। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि वे शिकायतकर्ता से संपर्क कर तत्काल शिकायतकर्ता की समस्याओं का निदान करें, क्योंकि शिकायतकर्ता का कहना है कि वे वर्ष–2022 से ही लगातार प्रयासरत हैं, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उनकी समस्याओं का निदान नहीं हुआ है। ऐसे में आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को निर्देश देता है कि वे व्यक्तिगत रूची लेते हुए इस मामले में शिकायतकर्ता को न्याय दिलाने की दिशा में उचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति उपायुक्त, गोड्डा को भी भेजी जाए, ताकि उपायुक्त, गोड्डा भी इस बात को सुनिश्चित कराएं कि शिकायतकर्ता के शिकायतों का ससमय निदान हो पाए। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा को निर्देश देता है कि इस मामले में वे इस बात की भी जानकारी दें कि प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को पत्रांक–10 दिनांक–29.01.2024 के माध्यम से भेजे गये पत्र में उल्लेखित तथ्य सत्य हैं या नहीं ? यदि तथ्य प्रमाणित नहीं है, तो प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, ठाकुरगंगटी के विरूद्ध गलत तथ्य पेश करने के सम्बन्ध में कारण पृच्छा की जाए। अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा अगली सुनवाई से पूर्व अपना लिखित पक्ष आयोग को प्रेषित करें। मामले में सुनवाई की अगली तिथि दिनांक–12.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें। दिनांक12.04.2024 को रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Court order, notice & court note\Commission order.docx166	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
12.04.2024	**वाद संख्या–04 / 2024** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से परिवादी श्रीमती सरीता देवी, ग्राम+पो0+पंचायत– चपरी, प्रखण्ड–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा वीडियो कॉल के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा अनुपस्थित। इस वाद की पिछली सुनवाई दिनांक–28.03.2024 को हुई थी। उस सुनवाई में आयोग ने अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, गोड्डा को निदेश दिया था कि वो शिकायतकर्ता से सम्पर्क कर तत्काल शिकायकर्ताओं की समस्याओं का निदान करें। शिकायतकर्ता ने कहा कि वो वर्ष 2022 से ही लगातार प्रयासरत हैं। बावजूद इसके उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है। आयोग ने पिछली सुनवाई में आदेश की प्रति उपायुक्त, गोड्डा को भी भेजने का निदेश दिया था ताकि उपायुक्त, गोड्डा इस बात को सुनिश्चित करायें कि शिकायतकर्ता के शिकायतों का ससमय निदान हो पाए। आयोग के पिछले आदेश के बावजूद अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कार्रवाई किये जाने का प्रमाण आयोग के अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। आज की सुनवाई में शिकायकर्ता ने पुनः आयोग से आग्रह किया कि दो वर्ष से अधिक हो जाने के बावजूद उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। ऐसे में आयोग ने यह तय किया है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग के अध्यक्ष गोड्डा पहुँचकर दिनांक–19.04.2024 को मामले की सुनवाई करेंगे। आयोग अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वे दिनांक–19.04.2024 को पूर्वाह्न 11:00 बजे Circuit House, गोड्डा में उपस्थित होना सुनिश्चित करें और इस वाद से संबंधित सभी दस्तावेज साथ लायें। शिकायतकर्ता को भी इस सुनवाई की सूचना दूरभाष पर दे दी जाय। मामले की अगली सुनवाई दिनांक–19.04.2024 को निर्धारित की जाती है। आदेश की प्रति अपर समाहर्त्ता–सह–जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी, जिला आपूर्ति पदाधिकारी एवं उपायुक्त, गोड्डा को भी भेज दी जाय। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx22	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
29.04.2024	**वाद संख्या–04/2024** अभिलेख उपस्थापित। इस वाद की सुनवाई 19.04.2024 को गोड्डा के Circuit House में निर्धारित की गई थी। लेकिन वैधानिक कारणों से सुनवाई स्थगित कर दी गई। तत्पश्चात् जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा ने आयोग को लिखित प्रतिवेदन के माध्यम से ये बताया है कि श्रीमती सरीता देवी का नाम उनके मायके प्रखण्ड–मेहरमा में राशनकार्ड संख्या–202000978546 में भी पाया गया। अतः ससुराल के राशनकार्ड सं0–202800441340 प्रखण्ड–ठाकुरगंगटी, जिला–गोड्डा में biometric उठाव नहीं हो पा रहा है। चूँकि लाभुक दो जगह राशनकार्ड में नाम रखी हैं एवं लगातार मेहरमा से राशन का उठाव कर रहीं हैं। अतः उन्हें यहाँ राशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। आयोग ने आज शिकायतकर्ता के संबंधी को टेलिफोन पर ये बताया कि पहले वो अपने मायके में दर्ज राशनकार्ड से अपना नाम delete करायें उसके बाद ही उन्हें उनके ससुराल में राशन उठाने की वैधानिक अनुमति दी जायेगी। इस निदेश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। D:\Premlata\Court 1.docx29	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0—04 / 2024	
19.04.2024	अपरिहार्य कारणों से आज की सुनवाई स्थगित कर दी गई है। शिकायतकर्ता के शिकायत का निष्पादन करते हुए कृत कार्रवाई से आयोग को अवगत कराने हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोड्डा को दूरभाष के माध्यम से निदेशित किया गया।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx208